निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 122 वर्ष 16-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)** के माह 02/2016 से 02/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन. यादव, श्री अमित दण्डन, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों तथा श्रई अंकित पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09/03/2017 से 19/03/2017 तक श्री वी.एस.पवार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुनील दत्त, श्री पी.के. मौर्या, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियो द्वारा दिनांक 29/02/2016 से 11/03/2016 तक श्री डी.पी. सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक (08/03/16 से 11/03/16) पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2014 से 01/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2016 से 02/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
   (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जनपद नैनीताल एवं जनपद चम्पावत का पर्वतीय क्षेत्र है। इन जनपदों के तराई एवं भावर क्षेत्र में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु इस खण्ड द्वारा राजकीय नलकूपों का निर्माण किया जाता है, साथ ही उनका अनुरक्षण एवं मरम्मत आदि कार्य भी सम्पादित कराया जाता है। वर्तमान में खण्ड के अन्तर्गत जिला नैनीताल का हल्द्वानी, कालाढुंगी एवं लालकुआं विधान सभा क्षेत्र एवं पुर्नगठन के पश्चात भीमताल विधान सभा क्षेत्र आता है।
   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	-	-	850.42	550.71	978.55	978.55		
2015-16	-	-	598.31	545.90	636.63	636.63		
2016-17 (02/2017 तक)	-	-	593.19	568.77	398.71	391.71		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्ति**	**व्यय**	**आधिक्य**	**बचत**
			शून्य			

(iii) इकाई को बजट आवंटन कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (बजट अनुभाग), सिंचाई विभाग देहरादून द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **"A"** श्रेणी की है।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

↓

मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) स्तर-II, देहरादून

↓

अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप खण्ड, हल्द्वानी

↓

अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, हल्द्वानी

↓

सहायक अभियन्ता

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **<u>अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)</u>** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **<u>अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)</u>** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **03/2016** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। जनपद चम्पावत में विभिन्न नलकूपों पर जीर्ण-शीर्ण ज.वि.प्र. का जीर्णोध्दार की योजना विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन .... के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में **दिनांक 18/01/2016 का निरीक्षण किया गया।**
3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2012 तथा 09/2012 तक की गई।
4. फार्म 51: माह 02/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम ` (-) 1,88,447.00

   भाग द्वितीय ` 88,20,934.00
5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 02/2017 के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ☐ 49,73,058.69

(ख) सामग्री क्रय □ 68,822.00

(ग) नगद परिशोधन □ 7,50,610.22

(घ) निक्षेप ` 1,23,05,231.00

(ङ) भण्डार ` 1,64,22,159.20

भाग-II (ब)

प्रस्तरः1- पेयजल चार्जेज (जलकर) की ₹ 166.06 लाख की वसूली न होना।

अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड हल्द्वानी द्वारा स्थापित नलकूपों से तहसील हल्द्वानी/लालकुआं के विभिन्न स्थानों पर नलकूपवार चार्जेज के अनुसार संबंधित तहसीलदारों से जलकर की वसूली हेतु पत्राचार किया जा रहा था। सम्प्रेक्षा फसली वर्ष 1424(30/09/2016) तक अद्यतन outstanding वसूली की धनराशि ☐ 166.06 लाख हो चुकी थी।

अभिलेखों की छानबीन में देखा गया कि खण्ड द्वारा पेयजल हेतु किये गये पानी की वसूली नलकूप संख्या/गांव के नाम से संकलित कर, वारन्ट को तदनुसार संबंधित तहसीलदार को भेजा जा रहा था। जिसमें बकायदारों का विवरण अंकित नहीं था। लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर खण्ड ने उत्तर में बताया कि "पेयजल पानी शुल्क नलकूपवार ही जल संस्थान हल्द्वानी/लालकुआं को अवगत कराते हुए तहसीलों को वसूली हेतु प्रेषित किया जाता है, उपभोक्ता का विवरण जल संस्थान के पास रहता है। खण्ड द्वारा पानी जल-संस्थान को उपलब्ध कराया जाता है"।

स्पष्ट था कि खण्ड द्वारा पानी का आपूर्ति जल संस्थान को उपलब्ध कराने पर वसूली का वारन्ट जल संस्थान के विरूद्ध काटा जाना और राजस्व विभाग के माध्यम से वसूली होना अपेक्षित था। पेयजल वसूली हेतु कृत कार्यवाही/न वसूली की अद्यतन स्थिति लेखापरीक्षा में प्रतिक्षित रहेगी।

प्रकरण उच्च अधिकारियों की संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः2- बिना कृषि भूमि हस्तान्तरण हुए नलकूप निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना।

जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्दवानी के ग्राम वागजाला (देवला तल्ला) में एक संख्या मिनी राजकीय नलकूप निर्माण की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य सैक्टर मद अन्तर्गत □ 125.77 लाख पर 11 फरवरी 2016 को प्रदान की गयी थी। अभिलेकों की छानवीन में देखा गया कि प्रस्तावित नलकूप हेतु 0.028 हे जमीन की आवश्यकता थी। खण्ड द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2016 को तराई पूर्वी बन प्रभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण व पट्टेधारक की सहमति को आधार बनाते हुए, कार्य 14/03/2016 से प्रारम्भ कर दिया गया था।

संबंधित पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार बन भूमि हस्तान्तरण का प्रकरण बन विभाग से स्वीकृति हेतु लम्बित था और लेखापरीक्षा अवधि (16/03/17) तक कार्य के सापेक्ष □ 86.67 लाख का व्यय किया जा चुका था जो वित्तीय नियमों के अनुकूल नहीं था।

बिना वन भूमि हस्तान्तरण के नलकूप निर्माण पर □ 86.67 लाख का व्यय किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर:3- खण्डीय केन्द्रीय भण्डार/कार्यशाला में हुई चोरी की अवशेष धनराशि □ 15.93 लाख की वसूली लम्बित रहना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के अभिलेखों की नमूना जांच (03/2017) में पाया गया कि खण्डीय केन्द्रीय भण्डार/कार्यशाला में विगत वर्षों में तीन बार चोरी/डकैती की घटना हुई थी। उक्त चोरी/डकैती हेतु गठित जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार कुल □ 18.63 लाख सामग्री की चोरी/कमी पायी गयी थी जिसमें से जिम्मेदार संबंधित दोषियों से मात्र □ 269676.00 की वसूली ही लेखापरीक्षा तिथि (03/2017) तक की जा सकी थी तथा अवशेष चोरी की धनराशि □ 15.93 लाख की वसूली लम्बित थी जिसका विवरण निम्नवत है:

क्रम सं.	विवरण	गठित जांच समिति के अनु. नुकसान/चोरी सामग्री का मूल्य (□ लाख)	वसूल की गयी धनराशि □	अवशेष धनराशि (वसूली लम्बित) □
1.	नलकूप खण्ड हल्द्वानी के परिसर में स्थित केन्द्रीय भण्डार गृह में दि. 10 व 11-02-2011 की रात्रि में चोरी की घटना	15.00	125097.00	1374903.00
2.	केन्द्रीय भण्डार गृह में दि. 21 व 22-01-2012 की रात्रि में चोरी की घटना	3.48	144579.00	203421.00
3.	केन्द्रीय भण्डार गृह में दि. 12 व 13-11-2015 की रात्रि में चोरी की घटना	0.14560	0	14560.00
			योग	**1592884.00**

उक्त चोरी की घटनाओं के संबंध में इंगित किये जाने पर खण्ड ने अवगत कराया कि कुल □ 2,69,676.00 (□ 125097 + 144579) की वसूली संबंधित जिम्मेदार चौकीदार एवं शिक्योरिटी एजेंसी से कर ली गई है, शेष वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

खण्डीय उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि चोरी/डकैती हुई सामग्री मूल्य की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली नहीं की जा सकी थी, जबकि चोरी/डकैती की घटना को 5-6 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। अतः चोरी की सामग्री मूल्य की अवशेष धनराशि □ 15.93 लाख की वसूली लम्बित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
1.	23/2003-04	1	1,2
2.	68/2004-05	-	2
3.	87/2005-06	-	1
4.	55/2007-08	1,2	2
5.	50/2009-10	-	1,2,3,4
6.	51/2011-12	1	1,2,3
7.	36/2013-14	-	1
8.	73/2014-15	-	1,2, STAN-1
9.	117/2015-16	1,2,3	1,2

Note:- Kindly check the details of outstanding paras from headquarters' record..

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्यः- ऐसा कोई कार्य अवलोकित नहीं हुआ था।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य**
2. **सतत् अनियमितताएः शून्य**
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
(i)	श्री पी.के. वर्मा	अधिशासी अभियंता	-

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. श्री संजय तिवारी खंडीय लेखाधिकारी विगत लेखापरीक्षा से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-1 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, इन्द्रानगर देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक क्षेत्र-2